27

संख्या– /XVIII-(2)/2015-12(07)/2015

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1,

देहरादून :दिनांक 30 जून, 2015

विषयः– **डी0डी0एम0ए0 रूद्रप्रयाग के तत्वाधान में श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गतिमान आपदा पुनर्निर्माण कार्यो एवं यात्रा सम्बन्धी कार्यो हेतु एस0पी0ए0(आर) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–32/डी.डी.एम.ए./2014–15, दिनांक 14 मई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–F.No. 44(21)/PFI/2013-1593, दिनांक 27.03.2015 के द्वारा स्वीकृत 19 परियोजनाओं हेतु कुल ₹ 267.02 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उसके सापेक्ष एस0पी0ए0 (आर) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग के तत्वाधान में सम्पादित किये जा रहे आपदा पुनर्निर्माण तथा यात्रा व्यवस्था कार्यो की निरन्तरता बनाये रखने एवं सफल सम्पादन हेतु डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग को ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2013 में आयी आपदा के उपरान्त केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन तथा जनपद में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) रूद्रप्रयाग के अंतर्गत सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम तक आपदा पुनर्निर्माण एवं यात्रा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु कुल ₹ 2500.00 लाख (₹ पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या–966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015 दिनांक 06.04.2015 द्वारा निर्धारित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

2– यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(2)

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0108–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा,2013) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान–24– वृहद् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–32P/XXVII(5)/2015-16, दिनांक 30जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या– 1865 (1) /XVIII-(2)/2015-12(07)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव